यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी** के माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस.के जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.06.2018 से 14.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, स.ले.प.अ तथा श्री उदयवीर सिंह, स.ले.प.अ एवं श्री अशोक कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.06.2015 से 05.06.2015 तक की गई। पर्यवेक्षण श्री प्रेम चंद लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें माह 02/2008 से 05/2015 तक की अवधि आच्छादित की गई ।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम , स.ले.प.अ तथा श्री उदयवीर सिंह, स.ले.प.अ एवं श्री अशोक कुमार ले.प. द्वारा दिनांक 02.06.2015 से 05.06.2015 तक की गई। पर्यवेक्षण श्री प्रेम चंद लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया जिसमें माह 02/2008 से 05/2015 तक की अवधि आच्छादित की गई।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिले में स्थापित विद्यालयों में शिक्षण एवं प्रवंधन कार्यों का निरीक्षण ।

   (ii) इकाई," सी "श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

   1. महानिदेशक, शिक्षा
   2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
   3. वित्त नियंत्रक
   4. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी
   5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
   6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
   7. वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत / अभ्यर्पण**	
	स्थापना में	**गैर स्थापना**	**स्थापना में**	**गैर स्थापना**	**स्थापना में**	**गैर स्थापना**
2015-16	11649000	969000	10955641	964467	693359	4533
2016-17	15575000	1089000	12456214	1036257	3118786	52743
2017-18	16664207	846486	15953580	798373	710627	48113
2018-19 upto may 2018	5533000		4252180		1280820	

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक माध्यमिक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई," सी "श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. महानिदेशक, शिक्षा
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, **मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 1:- ग्राहक विभाग (इकाई) द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में निक्षेप निर्माण कार्यों का निष्पादन कराये जाने हेतु अग्रिम की धनराशि का अधिक भुगतान ₹ ₹ 123.95 लाख एवं ₹ 7.00 लाख का अवरूद्ध रखा जाना।

CPWD WORKS MANUAL 2014 के पैरा 3.4 Realization of deposits (1) Whenever a deposit work is to be undertaken, the deposit should be realized before any liability is incurred on the work. 1% of the anticipated project cost should be realized before preparation of preliminary estimates. In addition to the outlay on the work in the preliminary estimate, departmental charges at such percentages as are prescribed by the Government of India from time to time shall also be realized in advance. No interest will be allowed on sums deposited from any source, including private contributions. (2) In the case of deposit works of autonomous bodies which are financed entirely from Government grants, **and from whom receipt of deposits is assured, 33-1/3% of the estimated cost of the work or 10% of the estimated cost of the work at the time of requisition/issue of A/A & E/S and balance amount i.e. 23-1/3% of the estimated cost of the work before award of work may be got deposited in advance**. Thereafter, the expenditure incurred may be got reimbursed through monthly bills simultaneously with rendering of monthly accounts on the progress of work.

लोक निर्माण विभाग मैनुअल के उपरोक्त पैरानुसार निक्षेप कार्यों के सन्दर्भ में ग्राहक विभाग द्वारा किसी निर्माण एजेंसी से कराये जाने वाले निक्षेप कार्यो हेतु निर्माण कार्य की प्राकलित अनुमान की एक तिहाई धनराशि अग्रिम रूप से कार्यकारी विभाग के पक्ष में प्रेषण/ निक्षेप किया जाना प्रावधानित है।

प्राकलित अनुमान की एक तिहाई धनराशि अग्रिम रूप से कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के पश्चात् निर्माण कार्य निष्पादन किये जाने हेतु निविदा आदि आमंत्रित किये जाने की औपचारिकतायें पूर्ण कर मैनुअल के अनुसार कार्य आरंभ किया जाना अपेक्षित होता है।

कार्य आरम्भ के पश्चात् ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गए चल लेखा बिलों (Running Account Bills) के आधार भुगतान किये जाने हेतु धनराशि की मांग कार्यकारी विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित थी।

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या B 25150024 ₹ 1,29,70,000, दिनांक 31.01.2016 तथा वाउचर संख्या B 25150025 ₹ 55,30,000, दिनांक 31.01.2016, कुल ₹ 1,85,00000 का निक्षेप, निर्माण एजेंसी (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पक्ष में किया गया; जबकि उपरोक्त नियामानुसार इकाई द्वारा निर्माण एजेंसी के पक्ष में लगभग ₹ 61,05,000 ही अग्रिम रूप से जमा किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार इकाई द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग के पक्ष में ₹ 123.95 लाख (₹1,85,00000 - ₹ 61,05,000 = ₹ 1,23,95,000) का अधिक भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया। अभिलेखों की जाँच में आगे यह भी पाया गया कि 02 निर्माण कार्यों (रा0क0उ0मा0वि0 नानई एवं रा0इ0का0 टिकोची) हेतु जारी की गई ₹ 7.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर बताया गया कि उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था से वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

एवं अधिक अग्रिम के रूप धनराशि जारी किये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि नियमों की जानकारी के आभाव में भुगतान कार्यदाई संस्था को 100 % धनराशि अग्रिम रूप से प्रदान की गई भविष्य में नियमों का पालन किया जायेगा।

इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने का आश्वाशन दिया गया। अतः ₹ 123.95 लाख अग्रिम की धनराशि का अधिक भुगतान एवं ₹ 7.00 लाख की धनराशि के अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- अधिक वाहन चालकों की तैनाती।

वित्तीय नियमानुसार कार्यालयाध्यक्ष/ अहरण वितरण अधिकारी से शासकीय व्यय के प्रयोग में यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी धन को उसी तरह से व्यय करे जैसे वह अपने स्वयं के धन का उपयोग करता है।

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि कार्यालय उपयोग हेतु दो वाहन उपलब्ध थे जिसमे से मात्र एक वाहन ही उपयोग में लाया जा रहा था जवकि इस हेतु दो चालक तैनात थे। वाहन की उपलब्धता के अनुसार केवल एक चालक तैनात किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार एक अतिरिक्त वाहन चालक को भुगतान किये गए वेतन भत्तों की धनराशि विभाग के लिए अलाभकारी सिद्ध हो रही थी।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि एक और वाहन मिलने की संभावना में दोनों जीप चालक रखे गए।

उत्तर मान्य नहीं था; क्योंकि एक वाहन के सापेक्ष दो वाहन चालकों का तैनात किया जाना विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं विभागीय लापरवाही के परिणाम स्वरुप ही उक्त धनराशि का अलाभकारी व्यय किया गया।

STAN

प्रस्तर 2:- रोकड़ बही के अनियमित रख-रखाव।

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय रोकड़ बही के प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक की संख्या रोकड़ बही के पहले पृष्ठ पर अंकित करते हुए अहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है कि इस रोकड़ बही में कुल कितने पृष्ठ हैं। तथा लेखांकन की प्रणाली के अनुसार कोई पृष्ठ रिक्त छूटा जाना अथवा पृष्ठों का लुप्त होना गंभीर अनियमितता है।

इकाई की रोकड़ बही की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि माह जनवरी 2016 की प्रविष्ठियां दिनांक 7 जनवरी 2016 के बाद नई रोकड़ बही में की गई। नियमानुसार नई रोकड़ बही में नए पृष्ठों की संख्या का सत्यापन किये जाने के पश्चात् पृष्ठ-वार उपयोग किया जाना चाहिए। नई रोकड़ बही में पृष्ठ संख्या 22 पर पृष्ठों का सत्यापन किया गया था। तत्पश्चात पृष्ठ संख्या 26 से आगे की प्रविष्ठियां की गई थी। पृष्ठ संख्या 23 से 25 रोकड़ बही में लुप्त थे। जो संदेहास्पद एवं अनुचित था।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि प्रकरण की जाँच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। विभाग का उत्तर लेखा परीक्षा आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि करता है। अतः रोकड़ बही के अनियमित रख-रखाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	प्रस्तर संख्या
21/ 2015-16	02/2008 से 05/2015	विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अंतर्गत कोई भी प्रस्तर जारी नहीं किया गया है अतः आख्या शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अंतर्गत कोई भी प्रस्तर जारी नहीं किया गया है अतः आख्या शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, **मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

-- शून्य --

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री लीलाधर व्यास	मुख्य शिक्षा अधिकारी	03.09.2014 से 05.10.2016 तक
2.	श्री अनिल कुमार	मुख्य शिक्षा अधिकारी	06.10.2016 से 17.10.2016 तक
3.	श्री जगमोहन सोनी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	18.10.2016 से 14.03.2017 तक
4.	श्री रामेन्द्र कुशवाहा	मुख्य शिक्षा अधिकारी	15.03.2017 से 24.05.2017 तक
5.	श्री रमेश चन्द्र आर्य	मुख्य शिक्षा अधिकारी	25.05.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.